फर्जी विक्रेता खड़ा कर ५१ लाख का होम लोन लेने का आरोप

बैंक मैनेजर की शिकायत पर दम्पती सहित तीन पर केस

जबलपुर, (एजेंसी)। मकान खरीदने के नाम पर बैंक से ५१ लाख रुपए का होम लोन लेने के मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि लोन हासिल करने के लिए न केवल संपत्ति की फर्जी सेल डीड तैयार कराई गई, बल्कि असली विक्रेता की जगह एक अज्ञात व्यक्ति को धर्मपाल सिंह बनाकर पेश किया गया। जिस संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया गया, उस पर कई वर्षों से किसी तीसरे पक्ष यानी जैन परिवार का कब्जा बताया गया है। मामले में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की शिकायत पर मदनमहल पुलिस ने एक दंपती और कथित विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किया है।

मदनमहल पुलिस के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक की नेपियर टाउन शाखा के मैनेजर विनीत भसीन ने शिकायत दर्ज कराई कि बैंक ने आशुतोष शुक्ला उर्फ आशीष शुक्ला और उनकी पत्नी आकृति शुक्ला को प्लॉट नंबर २९, ३०, खसरा नंबर ९१/२, मौजा बैटाला स्थित मकान खरीदने के लिए ५१ लाख रुपए का होम लोन मंजूर किया था। लोन की पूरी राशि सीधे कथित विक्रेता धर्मपाल सिंह के बैंक खाते में जारी की गई थी।

विक्रेता भी निकला फर्जी

बैंक की आंतरिक जांच और पूर्व में पुलिस को दिए गए बयानों के आधार पर सामने आया कि जिस संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया गया था, उस पर कई वर्षों से जैन परिवार का कब्जा था। आरोप है कि संपत्ति की फर्जी बिक्री दर्शाने के लिए धर्मपाल सिंह के नाम से एक अज्ञात व्यक्ति को असली विक्रेता के रूप में पेश किया गया। लोन प्रक्रिया के दौरान जमा कराए गए केवाईसी और पहचान संबंधी दस्तावेज भी जांच में अमान्य और मनगढ़ंत पाए गए।

आश्वासन देकर भी नहीं चुकाई रकम

बैंक की शिकायत के मुताबिक, शुरुआती जांच और पुलिस में बयान दर्ज होने के बाद आशुतोष शुक्ला ने बैंक से बकाया रकम चुकाने के लिए समय मांगा था। उसने लिखित अंडरटेकिंग में २० अगस्त २०२६ तक का समय देने की बात कही थी, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। बैंक ने आरोप लगाया कि भुगतान के लिए समय मांगना बैंक अधिकारियों को गुमराह करने और कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश थी।

शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने आशुतोष शुक्ला, आकृति शुक्ला और धर्मपाल सिंह के खिलाफ आपसी षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोप में ३१ अक्टूबर की रात धारा ३१८(४), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) और ६१(२) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

सरकारी जमीन पर चल रही थी जहरीले दूध की फैक्ट्री

बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त; दो आरोपित गिरफ्तार

मंदसौर, (एजेंसी)। शामगढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर संचालित जहरीले दूध की फैक्ट्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार सुबह प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। शामगढ़ पुलिस ने डूंगरखेड़ी में छापा मारकर कृष्णपाल और शिवपाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राजस्व जांच में ३०स२० फीट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। एसडीएम राहुल चौहान के निर्देश पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भीम सिंह खराड़ी और पुलिस की मौजूदगी में करीब ६ लाख रुपये की लागत का अवैध निर्माण हटाया गया। पुलिस आरोपियों के इंदौर से लाए जाने वाले केमिकल और दूध में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों के साथ उनके सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।

कलेक्टर दिव्यांक सिंह के निर्देश पर गरोठ-शामगढ़ क्षेत्र में फोरलेन और आठलेन हाईवे के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण भी जिला प्रशासन द्वारा हटाए गए हैं।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवसके मौकेपर झाबुआमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

झाबुआ, (एजेंसी)। प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले में एक दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय डीआरपी लाइन सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के पूजन एवं कन्या पूजन के साथ किया गया। इसके उपरांत पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा वंदे मातरम् एवं मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी गई। समारोह में अंग्रेजी माध्यम आश्रम एवं पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति एवं परंपराओं की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के गायन से किया गया।

आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग निर्मला भूरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश आत्मनिर्भरता एवं विकासकी दिशामें निरंतर अग्रसर है।

सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। प्रदेश की स्थापना के ७० वर्षों की विकास यात्रा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि उन्हें अविभाजित मध्यप्रदेश में भी विधायक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बनने के बाद संसाधनों का बंटवारा हुआ, लेकिन मध्यप्रदेश ने अपने सामर्थ्य एवं संसाधनों के बल पर बिजली उत्पादन, अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

भूरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश की विशेषता इसकी सांस्कृतिक एवं भाषायी विविधता है। प्रदेश का प्रत्येक जिला अपनी कला, संस्कृति एवं परंपराओं के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सांदीपनि विद्यालयों में विद्यार्थियों को सर्वसुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरस्थ फलियों तक सड़क सुविधाओं के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। कर वर्षा की स्थिति को देखते हुए उन्होंने किसानों से कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को अपनाने का आह्वान किया।

भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के माध्यम से आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। वहीं उद्यमी संवाद जैसी पहल से युवाओं एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झाबुआ जिले की प्रगति से मध्यप्रदेश का विकास होगा और मध्यप्रदेश के विकास से देश की प्रगति को नई गति मिलेगी।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन जिला कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। झाबुआ जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के १८० छात्रावासों में पालक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर झाबुआ का गौरव बढ़ा रहे हैं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस मौके पर शासन की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन अतिथियों द्वारा किया गया, तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की गई, साथ ही लोकतंत्र सेनानी एवं शहीद परिवार का किया शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया।

दो सड़क हादसों में चार घायल

गोरखपुर में बाइक बेलगाम और पनागर में ई-रिक्शा पलटा

जबलपुर, (एजेंसी)। शहर और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात दो सड़क हादसे हुए। गोरखपुर में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जबकि पनागर में तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने पैदल जा रहे किसान को टक्कर मारने के बाद पलट गया। दोनों घटनाओं में कुल छह लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टक्कर मारकर बाइक चालक फरार

गोरखपुर थाना पुलिस के अनुसार, नई बस्ती सुभाष नगर रांझी निवासी पंकज कुमार मांझी (४३) मजदूरी करते हैं। ३१ अक्टूबर की शाम करीब ७:३० बजे वह अपने साले सचिन रैकवार के साथ अलग-अलग साइकिलों से खेरमाई मंदिर के पास सोनकर ठेकेदार से मजदूरी के पैसे लेने जा रहे थे। रात करीब ८ बजे गुप्तेश्वर मंदिर से थोड़ा आगे पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई बाइक क्रमांकएमपी २०एक्स सी ८६४० के चालक ने सचिन की साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सचिन साइकिल सहित सड़क पर गिर गया। उसके कमर और हाथ में चोट आई। हादसे के बाद बाइक चालक गोरखपुर की तरफ भाग निकला। पंकज ने घायल सचिन को गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिसने बाइक चालकके खिलाफ धारा २८१ और १२५(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

टक्कर मारकर पलटा ई-रिक्शा, पांच घायल

दूसरी दुर्घटना पनागर थाना क्षेत्र के मनियारी कला तिराहे के पास हुई। ग्राम पिपरिया बनियाखेड़ा निवासी अरविंद पटेल (३५) ने पुलिस को बताया कि ३१ अक्टूबर की शाम करीब ७ बजे वह लखन पटेल और गोपाल पटेल के साथ खेत में काम करने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। जैसे ही वे मनियारी कला तिराहे के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आए ई-रिक्शा क्रमांक श्झ २० उप ८१७९ के चालक ने लखन पटेल को टक्कर मार दी। इसके बाद ई-रिक्शा आगे जाकर पलट गया।

हादसे में लखन पटेल के दाहिने पैर में चोट आई, जबकि ई-रिक्शा में सवार तीन यात्री भी घायल हो गए। उनकी पहचान इंद्रजीत बर्मन, गौरीशंकर काछी और ब्रजेश यादव के रूप में हुई है। सभी को हाथ-पैर और शरीर में चोटें आईं। अरविंद और अन्य लोगों ने घायलों को ई-रिक्शा से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की। सभी घायलों को मेडीजोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ धारा २८१ और १२५(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

हरदीप पुरी का निर्विरोध निर्वाचन? सात दिन पहले बन जाएंगे सांसद

पत्नी लक्ष्मी पुरीकी सालाना आय पांच सालमें ११ गुना बढ़ी भारत और विदेशों में करोड़ों की संपत्ति

भोपाल, (एजेंसी)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बन रही है। पुरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस चुनाव के लिए १२ नवंबर को मतदान होना है। उनके मुकाबले में हैदराबाद के कांते सायना ने भी नामांकन पत्र जमा किया है, उनके नामांकन में आवश्यक दस प्रस्तावकों का समर्थन नहीं होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में नामांकन जांच के दौरान निरस्त हो सकता है। यदि उनका नामांकन वैध नहीं पाया जाता है,दूसरा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं रहेगा, इस स्थिति में पुरी निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं।

नामांकन के साथ प्रस्तुत चुनावी हलफनामे में पुरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी की संपत्ति और आय का विवरण भी सामने आया है। सबसे अधिक चर्चा लक्ष्मी पुरी की आय में हुई वृद्धि को लेकर है। वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में उनकी वार्षिक आय १५.३९ लाख रुपये थी, जो २०२५-२६ में बढ़कर लगभग १.७० करोड़ रुपये हो गई। पांच वर्षों में उनकी आय लगभग ११ गुना बढ़ी है।

हलफनामे के अनुसार हरदीप पुरी के पास ६.५४ करोड़ रुपये की चल और २० करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। वहीं लक्ष्मी पुरी के पास १०.६६ करोड़ रुपये की चल संपत्ति और ९ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। इसके अतिरिक्त उनके पास लगभग २.९० लाख अमेरिकी डॉलर और ३० लाख स्विस फ्रैंक की विदेशी संपत्ति घोषित की है। स्विट्जरलैंड में अपार्टमेंट और भारत में संपत्तियां भी उनके संपत्ति विवरण में शामिल हैं।अब सबकी निगाहें नामांकन पत्रों की जांच पर टिकी हैं।

एक ने फांसी लगाई तो दूसरा करंटकी चपेटमें आया

जबलपुर, (ईएमएस)। जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। माढ़ोताल क्षेत्र में एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगा ली, जबकि पनागर में मकान की सफाई और पुताई के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।माढ़ोताल पुलिस के अनुसार राजीव गांधी नगर आकाश विहार निवासी ४३ वर्षीय मोहनलाल साहू ने ३० अक्टूबर की रात करीब नौ बजे अपने घर में फांसी लगा ली थी। परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना पर मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।दूसरी घटना पनागर थाना क्षेत्र के इमलई गांव की है। पुलिस के अनुसार २७ वर्षीय टिंकू चौधरी ने सूचना दी कि वह राजमिस्त्री का काम करता है। ३१ अक्टूबर की सुबह वह अपने बड़े पिता भागचंद चौधरी के बेटे अनिल चौधरी (३२) के साथ गांव में प्लास्टर का काम करने गया था। दोपहर करीब एक बजे दोनों खाना खाने अपने-अपने घर लौट आए। कुछ देर बाद भागचंद के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंचा तो अनिल घर के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा था। परिजनों ने बताया कि घर में सफाई करते समय अनिल ने खिड़की की लोहे की रॉड पकड़ ली थी, जिसमें करंट आ रहा था।

संस्कारधानी में भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं!

पांच मंदिरों में चोरी से आक्रोश, युवा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

जबलपुर, (एजेंसी)। जबलपुर में मंदिरों में चोरी की घटनाओं ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के पांच मंदिरों में चोरी की घटनाओं को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में चिंता और आक्रोश है। इस मामले में युवा कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव भानु यादव और उपाध्यक्ष अभ्युत अतुल बाजपेयी ने बताया कि सराफा बाजार के नुनहाई-दीक्षितपुरा स्थित प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर में बार-बार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर मजबूत ताले और सेंटर लॉक लगे होने के बावजूद अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते प्रवेश कर दानपेटी को निशाना बनाया और नकदी चोरी कर ली। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, मंदिर में पिछले एक वर्ष के दौरान चार से पांच बार चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही वारदातों से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।

पांच मंदिरों में चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता

सिद्ध गणेश मंदिर के अलावा कलेही माता मंदिर, गोपाल बाग; काली माता मंदिर, गोविंदगंज हितकारिणी; भोलेश्वर महादेव मंदिर, रज्जू गुरु का अखाड़ा और राम मंदिर, सेठ जी की तलैया में चोरी की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि सभी संबंधित मामलों की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह जानकारी दी जाए कि किन घटनाओं में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है।

मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के विरोध में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) कोतवाली अखिलेश गौर के नाम थाना प्रभारी मानस द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभी संबंधित घटनाओं की निष्पक्ष जांच, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया कि संबंधित मंदिरों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित कर उनकी जांच की जाए। घटनास्थलों, वारदात के समय और चोरी के तरीके का मिलान कर यह पता लगाया जाए कि सभी घटनाओं के बीच कोई आपसी संबंध है या नहीं। इसके साथ ही सराफा बाजार और नुनहाई-दीक्षितपुरा सहित संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने तथा मंदिर समितियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करने की मांग की गई।

युवा कांग्रेस ने कहा कि मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे स्थानों पर बार-बार चोरी होना गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन को मामले में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और आम नागरिकों का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो सके। इस अवसर अन्नू तिवारी, पप्पी सोनी, मुकुल दुबे, शिवम् यादव, सारंग दुबे, शिशांत सिंह ठाकुर, विवेक रजक, वरुण यादव, आयुष लाला श्रीवास्तव, ऋषभ गुप्ता, मनोज पांडे आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डा. यादव ने उज्जैन में हुई दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया

४-४ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में एक निजी होटल में चैंबर की सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में चार लोगों के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को ४-४ लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजन को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करनेकी बाबा महाकालसे प्रार्थना की।

एमएसएमई के लिए बनेगी नई औद्योगिक विकास कंपनी, दो माह में सभी जिलों में मिलेगी जमीन

निजी निवेशक भी बना सकेंगे औद्योगिक पार्क, प्रति हेक्टेयर ५० लाख रुपये का मिलेगा अनुदान

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी (एमएसएमई-आईडीसी) का गठन करेगी। यह कंपनी प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को भूमि और औद्योगिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने का काम करेगी। निजी निवेशकों को भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार प्रति हेक्टेयर ५० लाख रुपये का अनुदान देगी। प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो माह के भीतर एमएसएमई के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से ९०० से अधिक एमएसएमई इकाइयों को ४५० करोड़ रुपये से अधिक तथा १२० से अधिक स्टार्टअप्स को ४७.८० लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कंपनी पूरी तरह एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होगी और राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व में काम करेगी। उन्होंने ७५ औद्योगिक भूखंडों के आशय-पत्र भी प्रदान किए। इनसे करीब ८३ करोड़ रुपये का निवेश और ६४० रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि पिछले एक साल में उद्यमियों को १२५० औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में यह संख्या ३००० तक पहुंचाई जाएगी। वर्ष २०२८ तक ३० नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर ५००० उद्योगों को भूखंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का भविष्य निवेश, उद्योग और नवाचार पर आधारित है। सरकार उद्यमियों को हरसंभव सहयोग देगी। कार्यक्रम में उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को ऋण सहायता के चेक और स्टार्टअप संचालकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई।

कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

जबलपुर, (एजेंसी)। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के सहजपुर में रविवार सुबह १९ वर्षीय युवक अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार, खेरमाई मोहल्ला सहजपुर निवासी ५० वर्षीय अशोक कोल ने १ नवंबर को सूचना दी कि उनका भांजा १९ वर्षीय राकेश कोल बचपन से अपनी मां जयंती बाईके साथ रहता था और मजदूरी करता था।

बरगी में बस से गांजा लेकर आ रहा युवक गिरफ्तार, सात किलो से ज्यादा गांजा जब्त

क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस की संयुक्त कारवाई, ३.५८ लाख रुपए कीमत का गांजा और मोबाइल जब्त

जबलपुर, (एजेंसी)। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस की संयुक्त टीम ने एक युवक को गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सिवनी की ओर से पवन बस में सवार होकर जबलपुर आ रहा था। पुलिस ने बरगी के पास सागर ढाबा के सामने एनएच-३४ पर बस की चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा। उसके पास मौजूद बैग और प्लास्टिक की पन्नी से चार पैकेट में रखा ७ किलो १५८ ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब ३ लाख ५८ हजार रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार, ३१ अक्टूबर को क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि काले रंग की जैकेट और ग्रे पेंट पहने २२ से २५ वर्ष का एक युवक सिवनी की ओर से पवन बस में गांजा लेकर बरगी आ रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस की संयुक्त टीम ने एनएच-३४ स्थित सागर ढाबा के पास वाहन चेकिंग शुरू की। कुछ देर बाद पवन बस क्रमांक एमपी ५० जेडके १२९७ वहां पहुंची। पुलिस ने बस रुकवाकर तलाशी ली तो मुखबिर के बताए हुलिए का युवक उसमें बैठा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक बर्मन पिता सरमन बर्मन, उम्र २३ वर्ष, निवासी प्रेमसागर झंडा चौक, थाना हनुमानताल बताया। पुलिस ने उसे सामान सहित बस से उतारकर नियमानुसार तलाशी ली। इस दौरान उसके पिट्ठू बैग और प्लास्टिक की पन्नी में चार पैकेट गांजा मिला। तौल करने पर कुल वजन ७ किलो १५८ ग्राम निकला। पुलिस ने गांजे के साथ वीवो कंपनी का मोबाइल भी जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी दीपक बर्मन के खिलाफ धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी गांजा कहां से लेकर आया था और उसे किसे सप्लाई करना था। पुलिस गांजे के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

अमानक बीज पाए जाने पर जौरा की पांच बीज विक्रय फर्मों के लाइसेंस निलंबित

बाजरा बीज के नमूनों में निर्धारित मानक से कम मिला अंकुरण प्रतिशत, कृषि विभागने की कारवाई

मुरैना, (एजेंसी)। लेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में तथा कृषि विभाग के उप संचालक श्री अनंत सड़ैया के मार्गदर्शन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खरीफ वर्ष २०२६ के दौरान जौरा की ५ बीज विक्रय फर्मों से लिए गए बीज नमूनों की जांच में अंकुरण प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम मानक से कम पाए जाने पर संबंधित फर्मों के बीज विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। बीज निरीक्षक एवं पदेन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड जौरा द्वारा लिए गए नमूनों को परीक्षण के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला, मुरैना भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स जादौन कृषि सेवा केन्द्र सुमावली से बाजरा किस्म श्रीराम-८८६०, मैसर्स कृष्णा बीज भंडार जौरा से बाजरा किस्म कृष्णा-८१५०, मैसर्स श्री दाऊजी बीज भंडार, बागचीनी रोड़, सुकलू का पुरा चौराह से बाजरा किस्म पीए-९००१, मैसर्स रोहित बीज भंडार जौरा से बाजरा किस्म जे-२२२ तथा मैसर्स माँ कैलादेवी बीज भंडार जौरा से बाजरा किस्म पीए-९००१ के नमूनों का अंकुरण प्रतिशत क्रमशः ६७, ६८ एवं ६९, ६९, ६९ प्रतिशत पाया गया। संबंधित फर्मों को पूर्व में बीज विक्रय प्रतिबंधित करने के आदेश एवं कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा अमानक बीज के प्रकरणों के आधार पर विभाग ने बीज अधिनियम, १९६६ की धारा ७ के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पांचों फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। लाइसेंस निलंबन अवधि में संबंधित फर्में बीज का विक्रय नहीं कर सकेंगी। उन्हें आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर आवश्यक अभिलेखों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे बीज खरीदते समय उसकी किस्म, अंकुरण क्षमता एवं पैकेट पर अंकित विवरण की जांच करें तथा पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अमानक बीज अथवा विक्रय में अनियमितता की जानकारी मिलने पर संबंधित कृषि अधिकारियों को सूचित करें।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर महाविद्यालय जौरा में विविध कार्यक्रम आयोजित

सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को किया याद, विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय परिवार ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ

मुरैना, (एजेंसी)। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ३१ अक्टूबर को महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉ. रमेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय परिवार में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एच.एन. सिंह हाड़ा ने प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सभी ने देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा आपसी सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए श्भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल का योगदानश् विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सरदार पटेल के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता एवं स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय कराने में उनके ऐतिहासिक योगदान पर विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल के जीवन, विचारों एवं आदर्शों पर आधारित व्याख्यान भी आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल का दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी देश की एकता एवं अखंडता के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एच.एन. सिंह हाड़ा, डॉ. सी.पी. विमल, प्रो. अशोक कुमार, प्रो. विनोद कुशवाह, प्रो. प्रफुल्ल चंद्र, प्रो. जितेंद्र कुमार, डॉ. अंकिता मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष कु. संध्या टैगोर, डॉ. नीलम राजपूत, श्री राजकुमार, श्री हेमंत पाराशर, श्री प्रशांत शर्मा, श्री मुलायम सिंह, श्री आशुतोष जैन, श्री विनोद दौनेरिया एवं श्री राजेंद्र प्रजापति सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम का सफल संचालन भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. यदुनंदन प्रसाद उपाध्याय ने किया।

अंत में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संरक्षक डॉ. सुधीर कुमार पाठक ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

खर्चे के लिए मांगे रुपये, इनकार करने पर मारपीट, चाकू से हमला

जबलपुर, (एजेंसी)। शहर में जबरन रुपयों की मांग कर मारपीट करने की दो घटनाएं सामने आई हैं। सिविल लाइन में दो युवकों ने एक व्यक्ति से खर्चे के लिए रुपये मांगे और इनकार करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं गोरखपुर क्षेत्र में शराब पीने के लिए एक हजार रुपये नहीं देने पर फल व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी ५३ वर्षीय हीरालाल साहनी ने शिकायत दर्ज कराई कि ३० अक्टूबर की रात वह अपने कुत्ते को घुमाकर घर लौटने के बाद शर्मा पान वाले के पास गया था। वहां अभिनव उसे बात करने के बहाने शौचालय के पास ले गया। इसी दौरान हेमंत सिंह राजपूत भी पहुंच गया। दोनों ने बच्चे के एक्सीडेंट की बात करते हुए गालीगलौज शुरू कर दी और खर्चे के लिए जबरन रुपये मांगने लगे। हीरालाल ने रुपये देने से मना किया तो दोनों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट कर उसे गिरा दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसी तरह गोरखपुर थाना क्षेत्र के रतन कॉलोनी निवासी २९ वर्षीय रितिक केशरवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ३० अक्टूबर की रात करीब १०.३० बजे फल की दुकान बंद कर अपने साथियों को हाथीताल छोड़ने के बाद घर लौट रहा था। हाथीताल में श्याम गुप्ता, सुमित गुप्ता और अतीश गुप्तने उसे रोक लिया।

१४ साल बाद भी बहाली नहीं, हाईकोर्ट ने दिया तीन सप्ताह का अंतिम मौका

अवमानना याचिका पर अधिकारी को व्यक्तिगत हाजिरी की चेतावनी

जबलपुर, (एजेंसी)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के दो बर्खास्त हेल्पर कर्मचारियों को श्रम न्यायालय और हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद सेवा में बहाल नहीं किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अवमानना याचिका दुर्गेश कुमार सोनी एवं अन्य विरुद्ध रंजन सिंह ठाकुर की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने शासन को तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन कर अनुपालन प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया तो संबंधित प्रतिवादी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई २३ नवंबर २०२६ से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में नियत की गई है।

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता दुर्गेश कुमार सोनी और रूपलाल मेहरा पीएचई विभाग में ११ वर्ष से अधिक समय तक हेल्पर के पद पर कार्यरत रहे। आरोप है कि नरसिंहपुर के कार्यपालन यंत्री ने उन्हें मौखिक आदेश के जरिए सेवा से पृथक कर दिया था। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय नरसिंहपुर की शरण ली, जहां १४ दिसंबर २०१६ को उनके पक्ष में अवार्ड पारित करते हुए २५ प्रतिशत वेतन के साथ सेवा में बहाली के आदेश दिए गए।

श्रम न्यायालय के फैसले को शासन ने चुनौती दी और मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में चलता रहा। हाईकोर्ट की एकलपीठ के निर्णय के विरुद्ध शासन ने रिट अपील दायर की, जो खारिज हो गई। इसके बाद पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई, जिसे १५ हजार रुपये की कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह राशि भी अब तक जमा नहीं की गई है। इसके बाद शासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन एसएलपी (सी) डायरी क्रमांक ४७१३४/२०२६ भी २१ सितंबर २०२६ को खारिज हो गई। इस तरह हाईकोर्ट का १० सितंबर २०२५ का आदेश प्रभावी बना रहा।

इसके बावजूद कर्मचारियों की सेवा बहाली नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शासन के पास बहाली के आदेश पर अमल रोकने वाला कोई स्थगन आदेश नहीं है, इसके बाद भी उन्हें सेवा में वापस नहीं लिया गया। इससे उन्हें लगातार आर्थिक और सेवा संबंधी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

२९ अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ६ फरवरी २०२६ को वकालतनामा के माध्यम से उपस्थित हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक आदेश के पालन का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अनुपालन के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी और अमित चौधरी ने पैरवी की, जबकि शासन की ओर से अधिवक्ता मोनिका लोधी उपस्थित रहीं। अब इस मामले में २३ नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि शासन को तब तक हाईकोर्ट के आदेश के पालन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

विद्यार्थियों को कानून, साइबर सुरक्षा और नागरिक कर्तव्योंका पाठ पढ़ाया

जबलपुर, (एजेंसी)। युवाओं को कानून, सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'जनसुरक्षा युवा सृजन संवाद' के तहत विद्यार्थियों के साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर गत दिवस को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने समीक्षा बैठक लेकर आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों, स्कूल-कॉलेजों के प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के तहत शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय मोहनलाल हरगोविंददास गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, सांदीपनि स्कूल अधारताल, सांदीपनि स्कूल बरगी तथा मॉडल हाई स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, भारतीय संविधान, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी। विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, कानून का पालन करने और आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध सहायता सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।